

राजकोषीय नीति कार्ययोजना विवरण

क. राजस्व नीति की समीक्षा

1. आर्थिक विकास में 2011-12 में कमी की शुरुआत हुई जो 2012-13 में जारी रही इसके कारण वर्तमान वर्ष में बृहत आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था 2008-09 में वैश्विक आर्थिक संकट के कारण उपस्थित हुई तात्कालिक बिखराव से बचने में सफल हुई तथा इसके द्वारा एक अनुक्रियाव्यक्त की गई एवं आसन्न वर्षों के दौरान 8.4 प्रतिशत तथा 9.3 प्रतिशत की उच्च विकास दर दर्ज की गई। तथापि, वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता के बने रहने तथा घरेलू स्तर पर ऋणात्मक नजरिए के कारण इष्टतम से कम आर्थिक विकास का चरण आरंभ हुआ। निरंतर बने रहे मुद्रास्फीतिजन्य दबाव के कारण देश में बृहत आर्थिक परिदृश्य में ऋणात्मक दृष्टिकोण देखा गया।

2. इसके अतिरिक्त वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, दूसरी तिमाही के दौरान अमरीका द्वारा निवेश में क्रमिक रूप से कमी किए जाने के पूर्व चेतावनी संकेत के रूप में डॉलर की तुलना में रुपये के मूल्य पर दबाव उत्पन्न हुआ। जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने तत्काल मौद्रिक नीति संबंधी कार्रवाइयों को करके रुपये के घटते हुए मूल्यों पर नियंत्रण के लिए हस्तक्षेप किया वहीं सरकार ने बढ़ते हुए व्यापार अंतराल पर नियंत्रण हेतु उपाय आरंभ किए। इन दोनों कार्यों से पंचाग वर्ष के अंत तक परिणाम सामने आया और चालू खाता घाटे में उल्लेखनीय सुधार देखा गया। तथापि, मुद्रास्फीतिजन्य दबाव एवं रुपये के घटते हुए मूल्य पर नियंत्रण हेतु आरबीआई के द्वारा किए गए कार्य के फलस्वरूप अल्पावधिक एवं दीर्घावधिक दोनों प्रकार की ब्याज दरों में वृद्धि हुई। वित्त पोषण की बढ़ती हुई लागत के कारण निवेश और साथ ही लाभकारिता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा; जिससे निवेश परिदृश्य प्रभावित हुआ। आर्थिक विकास में कमी के फलस्वरूप कराधान की गति भी मंद हुई जिसके कारण वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

राजकोषीय समेकन

3. यह स्मरण किया जाए कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में सरकार ने राजकोषीय सुदृढीकरण से संबंधित कार्ययोजना के बारे में केलकर समिति की सिफारिश का अनुपालन करते हुए मध्यवार्षिक संशोधनों को अपनाया था। संशोधित एफआरबीएम, 2012 के अंतर्गत नियम निर्मित किए गए तथा वित्तीय सुदृढीकरण हेतु संशोधित लक्ष्य अपनाए गए। सरकार ने एक और संसाधनों को जुटाने के लिए एकीकृत प्रयास के माध्यम से राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण हेतु अभियान की शुरुआत की तथा साथ ही घाटे को एक धारणीय स्तर के भीतर बनाने रखने के लिए खर्च में कटौती की। घाटे में एक ट्रिलियन से भी अधिक की कमी की गई जो दोहरे

अंकों पर पहुंचने पर नियंत्रण स्थापित करने पर सरकार की मंशा को अभिव्यक्त करता है।

4. सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम प्राप्त हुआ। 2012-13 में संशोधित अनुमान में राजकोषीय घाटे को 5.2 प्रतिशत पर लाने में सफलता प्राप्त हुई जो 5.1 प्रतिशत बजट प्राक्कलन की तुलना में मामूली अधिक था। 2012-13 के अनंतिम लेखाओं से ज्ञात हुआ कि वास्तविक घाटा 4.8 प्रतिशत था जो काफी कम था। सितंबर, 2012 में 6 प्रतिशत घाटे को देखते हुए गंभीर चिंताओं की पृष्ठभूमि में यह उपलब्धि वास्तव में उल्लेखनीय थी। इससे राजकोषीय प्रबंधन में सरकार की मंशा तथा उसकी क्षमता स्थापित हुई।

5. एक आम राय यह थी की राजकोषीय घाटे के लगातार उच्च स्तर पर बने रहने के कारण विभिन्न प्रकार के बृहत आर्थिक असंतुलन तथा तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। सार्वजनिक चर्चा इस तथ्य के इर्द-गिर्द बना रहा कि उच्च राजकोषीय घाटे के कारण मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है, मौद्रिक नीति से संबंधित कार्रवाइयों को करने की गुंजाइश कम होती है तथा निजी निवेश में कमी आती है। सकल घरेलू उत्पाद में विकास के 5 प्रतिशत से भी कम के स्तर पर पहुंच जाने को व्यापक बृहत आर्थिक संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है। भारत हाल के वर्षों में मुद्रास्फीति के एक कठिन दौर से गुजर रहा है; विशेषकर खुदरा क्षेत्र में मुद्रास्फीति का अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार की बृहत आर्थिक स्थिति में राजकोषीय घाटे का बढ़ना आगे चलकर विकास के लिए हानिकारक सिद्ध होगा जैसाकि पर्याप्त विकास के बाद के वर्षों में देखा गया था अतः विकास को बढ़ावा देने और साथ ही मुद्रास्फीति पर रोक लगाने के लिए राजकोषीय सुदृढीकरण के प्रति व्यावहारिक बदलाव लाना अनिवार्य है।

6. पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान मध्यवर्षीय संशोधन के हिस्से के रूप में शुरू किए गए राजकोषीय सुदृढीकरण चालू वित्त वर्ष 2013-14 में प्रस्तुत किए गए बजट का आधार बना। वित्त वर्ष 2013-14 में राजकोषीय घाटे 4.8 प्रतिशत के स्तर पर रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और पिछले वित्त वर्ष में भी राजकोषीय घाटा इसी स्तर पर रहा था। अन्य आयोजना-भिन्न व्यय में आवश्यक वृद्धि करते हुए प्रमुख सब्सिडियों के लिए वास्तविकता के आधार पर आबंटन किया गया था। इसी प्रकार, कार्यक्रम क्रियान्वयन तथा समाज के अति संवेदनशील तबकों के लिए योजनागत व्यय में वृद्धि की गई थी। कर राजस्व में उपयुक्त वृद्धि की गई थी, इसके अतिरिक्त अधिभार के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाए गए थे। तथापि सरकार संशोधित एफआरबीएम

नियमों के अंतर्गत यथानिर्धारित राजकोषीय सुदृढीकरण के कार्य को करने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध बनी रही। सरकार ने विकास के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले दोनों प्रकार के घाटों अर्थात् राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा पर नियंत्रण के लिए भी उपाय किए जबकि राजकोषीय घाटे पर वित्त वर्ष 2012-13 की परिवर्ती छमाही के दौरान अपेक्षाकृत अल्पावधि में ही नियंत्रण स्थापित कर लिया गया, व्यापार पक्ष पर प्रयास का परिणाम चालू वित्त वर्ष के दौरान दूसरी तिमाही के अंत तक सामने आना शुरू हुआ। तथापि, चालू वर्ष के आरंभिक महीनों के दौरान रुपये पर दबाव की स्थिति उत्पन्न हुई। अमरीका द्वारा मई और जून, 2013 में अपने निवेश में क्रमिक रूप से कमी किए जाने के संकेत मिलने के बाद रुपये के मूल्य में डॉलर की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक तेजी से गिरावट देखी गई। कुछ दिनों के ही भीतर रुपये के मूल्य में लगभग 10 प्रतिशत की गिरावट होने तथा दूसरी तिमाही के एक बड़े हिस्से के दौरान 31 प्रतिशत की गिरावट होने से अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ा।

7. रिजर्व बैंक द्वारा विश्व की प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले भारतीय करेंसी के गिरते हुए मूल्य पर रोक लगाने के लिए मार्जिनल स्टैंडबाय फैसिलिटी (एमएसएफ) के माध्यम से अल्पावधिक ब्याज दरों में वृद्धि करने तथा कतिपय अस्थायी नियंत्रणों को लागू करने के लिए उपायों को लागू करके हस्तक्षेप करना पड़ा। सरकार ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने, उद्योग जगत में विश्वास उत्पन्न करने तथा सोने के आयात पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रमुख पहलों को शुरू किया। केंद्रीय बैंक तथा सरकार द्वारा एक साथ किए गए कार्यों से बृहत आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ तथा अक्टूबर, 2013 के अंत तक सामान्य स्थिति बहाल हो गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक परिमित रूप में कॉल मनी मार्केट पर लगाए गए प्रतिबंधों को वापस ले लिया। एमएसएफ को रेपो रेट की तुलना में मानक स्तर पर बहाल किया गया। इस समय तक यह स्पष्ट हो गया था कि व्यापार अंतराल शुरुआती तिमाहियों की तुलना में काफी कम होगा तथा चालू खाता घाटा काफी हद तक नियंत्रणीय सीमाओं के भीतर रहेगा। सोने के आयात से संबंधित रुझान से सकारात्मक संकेत दिखाई पड़ने लगे थे। अतः यह स्पष्ट था कि विदेशी मुद्रा और प्रतिकूल व्यापार घाटे के संबंध में स्थिति जिसके कारण दूसरी तिमाही में एक बड़ा खतरा उपस्थित हो गया था, आगे से कोई समस्या नहीं रहेगी। रुपया भी डॉलर के मुकाबले स्थिर हो गया और उसे एक नया साम्य स्तर प्राप्त हुआ। दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ निर्यात में सुधार तथा सोने के आयात में कमी आने से एक अच्छी स्थिति सामने आई। इसके अतिरिक्त पंचांग वर्ष 2013 के अंतिम महीनों में विदेशी संस्थागत निवेश अंतरप्रवाह के उच्चतम स्तर से भी स्थिति में सुधार हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक ने अमरीका द्वारा अपने निवेश को क्रमिक रूप से कम करने के कारण उत्पन्न होने वाली आकस्मिकता की स्थिति से निपटने के लिए अलग से

आरक्षित निधि स्थापित की जिससे घरेलू मुद्रा में बाजार का विश्वास फिर से लौटा। वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में मुद्रास्फीति में कमी आई।

8. तीसरी तिमाही में राजकोषीय घाटा एक बार फिर से प्रकाश में आया। मुद्रास्फीतिजन्य दबाव तथा रुपये के अवमूल्यन के कारण ब्याज दर में वृद्धि होने लगी। इसके परिणामस्वरूप विकास दर पर निरंतर दबाव की स्थिति बनी रही। राजकोषीय पक्ष में बढ़ती हुई ब्याज दरों के कारण उधार ली जाने वाली राशि की लागत में वृद्धि हुई और इसके साथ ही कर राजस्व पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। विनिर्माण, खनन सहित प्रमुख क्षेत्रों में मंदी आने तथा उद्योग क्षेत्र द्वारा इष्टतम से कम स्तर पर निष्पादन दर्शाने के कारण केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क से प्राप्त राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में मामूली वृद्धि हुई। वास्तव में केंद्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्त राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई तथा सीमा शुल्क से प्राप्त राजस्व में काफी कम वृद्धि हुई। सेवाकर से प्राप्त राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में कुछ वृद्धि हुई किंतु यह स्तर बजटित स्तर की तुलना में कम था। इसी प्रकार, कारपोरेट कर से प्राप्त राजस्व भी इस क्षेत्र में लाभकारिता में कमी आने के कारण पहले से कम रहा। पंचांग वर्ष 2013 के अंत तक संसाधनों पर पर्याप्त दबाव बना रहा। तीन तिमाहियों के दौरान वास्तविक लक्ष्य के प्रतिशत के रूप में पिछले वर्ष में अवधि के दौरान की गई उगाही की तुलना में महीने की अवधि के दौरान की गई उगाही में लगभग 5 प्रतिशत की कमी देखी गई।

9. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजना व्यय का अग्रभारण किया गया था। वित्त वर्ष, 2013-14 में व्यय पैटर्न से तदनुसूची अवधि के संबंध में आयोजना व्यय में 5 वर्ष के औसत की तुलना में संगत महीनों में लगभग 5 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित हुई। योजना अवधि के मध्य में कार्यान्वयक एजेंसियों को विभिन्न स्कीमों को क्रियान्वित करने में तेजी लाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। दूसरी ओर बजटित स्तर के प्रतिशत के रूप में आयोजना-भिन्न व्यय पिछले वर्ष की तुलना में समान स्तर पर बना रहा। इसके परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों के दौरान व्यय में मामूली वृद्धि हुई जबकि संसाधन को जुटाने में कमी की स्थिति बनी रही।

10. वित्त वर्ष की पहली छमाही के अंत तक व्यय तथा राजस्व प्राप्ति की गति के बीच अंतर स्पष्ट हो गया। सितंबर, 2013 के अंत तक राजकोषीय घाटा बजटित स्तर के लगभग 75 प्रतिशत पर पहुंच गया जबकि पिछले वर्ष यह 65 प्रतिशत के स्तर पर था। नवंबर 2013 के अंत तक राजकोषीय घाटा बढ़कर 94 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया तथा इस बात की एक बड़ी चिंता बनी रही कि वर्ष के अंत में राजकोषीय घाटा बजटित स्तर से काफी अधिक हो सकता है। प्रत्याशा से कम कर प्राप्ति तथा बाजार सोच के कारण संसाधनों में आसन्न कमी की स्थिति उत्पन्न हुई। अतः आयोजनागत

व्यय की उच्च गति के कारण घाटे के लक्ष्य से अधिक स्तर पर पहुंच जाने की आशंका उत्पन्न हुई। मौजूदा बृहत आर्थिक परिदृश्य में घाटे के लक्ष्य से अधिक स्तर पर पहुंच जाने की संभावना को ऋणात्मक संकेत माना गया।

11. तथापि, सरकार ने राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के मार्ग के संबंध में अपनी प्रतिबद्धता को फिर से व्यक्त किया और स्पष्टतः यह कहा गया कि राजकोषीय घाटा एक रेड लाइन है तथा किसी भी परिस्थिति में इसे पार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिसंबर, 2013 में कर प्राप्ति विशेषकर प्रत्यक्ष कर में सुधार हुआ है और नवंबर, 2013 में घाटा 94.1 प्रतिशत पहुंच गया था, वर्ष के अंत तक उसी स्तर पर बरकरार रहा। उसी समय सरकार ने पूर्व-बजट परामर्शों के भाग के रूप में विभिन्न मंत्रालयों को योजना निधीयन जारी किए। यह निर्णय किया गया है कि संसाधन की कमी से उत्पन्न आपत स्थिति से निपटने के लिए सरकारी खर्च में रखा जाए। परिणामस्वरूप, कार्यान्वयन निकायों शेष और सभी संसाधनों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसी प्रकार तर्कसंगत करके नियोजित व्यय का दस प्रतिशत अनियोजित खर्च को कटौती करके मितहाारी उपायों को मजबूत किया गया है। यह ध्यान रखा गया है कि ऐसे युक्तिसंगत उपायों से कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावित न हों।

12. व्यय को युक्तिसंगत बनाया जा रहा है, राजस्व जुटाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। बृहत आर्थिक स्थितियों के कारण राजस्व कर के कम संसाधन से, विशेषकर अप्रत्यक्ष कराधान की तरफ, कमी को सीमित करने के विशेष प्रयास किए गए हैं। सरकार ने प्रत्यक्ष कर, गैर कर राजस्व और विनिवेश को गतिशील बनाने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। एक तरफ व्यय रखने और दूसरी तरफ संसाधनों को गतिशील बनाने के कारण संशोधित अनुमानों के अनुसार घाटा एक बिंदु पर पहुंचने का खतरा था। वास्तव में बजट स्तर के निम्न तक सीमित रह गया। अनुकूल व्यापार घाटा के मुद्रास्फीति दबाव को कम किया और विदेशी मुद्रा को विदेशी अंतर्वाह को छोड़कर स्थायीत्व प्रदान किया। वास्तव में दिसंबर, 2013 में व्याप्त मनोभावों को कम किया। जनवरी, 2014 तक सरकार की राजकोषीय पर प्रावलय के बजट में विश्वास बहाल किया है। सरकार की राजकोषीय स्थिति नियंत्रण में रखने और गिरते राजस्व के भारी दबाव के बावजूद घाटे से बचने की क्षमता में राष्ट्र और वैश्विक दोनों स्तर पर सहायनीय है। पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने राजकोष से नियंत्रण करने में अपनी क्षमता प्रदर्शित की है।

13. सरकार ने राजकोषीय समेकन पर अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। दोनों वित्त वर्ष 2012-13 और 2013-14 के राजकोषीय प्रबंध मामलों में उसी प्रकार चुनौती वाला था। दोनों अवसरों पर सरकार ने दर्शा कर कि वित्त उसके कठोर नियंत्रण में है, बाजार में विश्वास बहाल किया। घरेलू और वैश्विक दोनों स्तरों पर भारी

दबाव के बावजूद सरकार ने राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया में प्रतिबद्धता दिखाई, अनुपात स्तर और अच्छा और दृढ़ता दिखाते हुए सक्रिय नीति के निर्णय से दोनों घाटों का रोका है, मंहगाई को कम किया है, विनिमय दर को स्थिर किया और निवेश रुझान को बढ़ाया है। शीघ्र वृद्धि की प्राप्ति की संभावना है। यदि अगले वित्त वर्ष तक कायम रहा और सुदृढ़ वैश्विक आर्थिक स्थिति वृद्धि दर का वृद्धि दर की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया जा रहा है, यह अपेक्षा है कि राजकोषीय समेकन बढ़ाना जारी रहेगा। अवसंरचना और विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रभावशाली नीति उपाय बजट 2014-15 के दौरान वृद्धि दर को बढ़ाने का मुख्य वाहक होंगे।

ख. वर्ष 2013-14 की राजकोषीय नीति

14. वित्त वर्ष 2013-14 के पूर्वोद्ध में देखी गई कई चुनौतियों के बावजूद जहां बृहत आर्थिक प्रवृत्तियां इतनी प्रोत्साहित नहीं रहीं, सरकार ने दृढ़ निश्चय के साथ ठोस और सक्रिय नीतिगत दृष्टिकोण पर जोर दिया जिसके परिणाम चौथी तिमाही में आने शुरू हो गए। निरसंदेह कैलेंडर वर्ष के बदलते ही जहां कमजोर अर्थव्यवस्था रही आर्थिक पुनरुत्थान के संकेत मिलने शुरू हो गए। मुद्रास्फीति पक्ष पर, प्रोत्साहन वर्द्धक रूख और बढ़ते विदेशी अन्तर्वाह के साथ राजकोषीय और व्यापार दोनों जुड़वा घाटों के उम्मीद से ज्यादा प्रभावों ने बृहत - आर्थिक मूलतत्त्व को पलट दिया। विनिमय दर दबाव सहने के लिए काफी मजबूत थी जब वर्ष 2013 के अंत तक यूएस फेड वास्तव में प्रमात्रात्मक रूप से कम होने शुरू हो गए। इससे वित्त वर्ष की पहली छमाही में गिरावट के मुकाबले घरेलू अर्थव्यवस्था में समुत्थानशीलता देखी गई। प्रभावशाली मौद्रिक और राजकोषीय नीतिगत उपायों के साथ-साथ नीतिगत सुधारों के निरंतर अनुसरण से बहुत थोड़े से अन्तराल में बृहत-आर्थिक नीतियों में बड़े बदलाव आए। पिछले दो कठोर वित्त वर्षों में सरकार द्वारा किए गए राजकोषीय समेकन से प्रमुख चुनौतियों से लड़ने की शक्ति दिखी। वित्त वर्ष 2013-14 की अंतिम तिमाही में स्वर्ण आयातों में कमी, बढ़ते निर्यात, कच्चे तेल के अस्थिर मूल्यों, निवेश अंतर्वाहों के उच्च स्तर ने अस्पष्टता का संकेत दिया हालांकि अर्थव्यवस्था में मामूली प्रगति हुई। विकास जिसमें 5 प्रतिशत के स्तर तक कमी आई थी, वित्त वर्ष 2014-15 में इसके सुधरकर 6 प्रतिशत होने की उम्मीद है और उत्तरवर्ती वर्षों में उच्चतर स्तर पर लौटने की उम्मीद है।

15. वर्ष 2014-15 का अंतरिम बजट 2013-14 की प्रत्याशित सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि की तुलना में कम रखा जा रहा है। वर्ष 2014-15 की राजकोषीय नीति दोहरे लक्ष्यों के साथ स्पष्ट की गई है - पहला विकास के पुनरुत्थान में अर्थव्यवस्था को सहायता प्रदान करना और दूसरा राजकोषीय घाटे को नियमित करके राजकोषीय समेकन के मार्ग पर बने रहना जिससे कि निजी क्षेत्र के ऋण के लिए जगह बनाई जा सके क्योंकि निवेश चक्र चलता

रहता है। चालू वित्त वर्ष में वहनीय सीमाओं में व्यय को नियंत्रित करके 2014-15 का बजट वित्त वर्ष 2013-14 के बजटीय अनुमानों पर आयोजना व्यय रखता है। वर्ष 2012-13 के वास्तविक व्यय और वर्ष 2013-14 के संशोधित अनुमान के लिए इस आवंटन में 16.7 प्रतिशत की बढ़त हुई है और इससे पर्याप्त रूप से आवश्यकताएं पूरी होंगी। रक्षा की आवश्यकताओं, सब्सिडियों, ब्याज भुगतानों, वित्त आयोग अनुदानों और वेतन और पेंशन संबंधी भुगतान में वृद्धि आदि को ध्यान में रखते हुए बजट अनुमान 2014-15 में संशोधित अनुमान 2013-14 के मुकाबले आयोजना भिन्न व्यय में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इससे 2013-14 के संशोधित अनुमान की तुलना में 2014-15 के बजट अनुमान में सम्पूर्ण व्यय में 10.9 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इन उपायों के परिणामस्वरूप, राजकोषीय घाटे का सकल घरेलू उत्पाद के 4.1 प्रतिशत से कम रहने का अनुमान है जिससे सरकार द्वारा घोषित राजकोषीय समेकन के लिए तैयार रोड मैप में तय लक्ष्यों से भी अधिक परिणाम दिखेंगे। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय 2013-14 के संशोधित अनुमान में 14.0 प्रतिशत के मुकाबले 2014-15 के बजट अनुमान में 13.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

16. व्यय को बढ़ने से रोकने के अलावा, राजकोषीय घाटे में कमी, कर और कर - भिन्न राजस्वों के जरिए लक्षित राजस्व वृद्धि के साथ हासिल करने की योजना बनाई जाती है। वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में कर 10.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है जिसमें आर्थिक विकास में आई मंदी के कारण वर्ष 2013-14 के संशोधित अनुमान में कम होकर 10.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। तथापि वित्त वर्ष 2013-14 में सम्पादित कर निगम को कारगर बनाते हुए और वित्त वर्ष 2014-15 में संभावित सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में सुधार से वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान में सकल घरेलू उत्पाद के प्रति कर अनुपात 10.7 प्रतिशत रखने का लक्ष्य रखा गया है। इससे 2013-14 के संशोधित अनुमान की तुलना में 19.9 प्रतिशत की वृद्धि स्पष्ट होती है; तथापि 11.6 प्रतिशत की यह वृद्धि, वित्त वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान से अधिक है। पिछले कुछ वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में गिरावट से बजटीय निष्पादन की तुलना में कमी आई; यह उम्मीद की जाती है कि मौजूदा कर प्रावधानों के साथ 6 प्रतिशत के स्तर पर अर्थव्यवस्था में अधिक वृद्धि के पुनरुद्धार के साथ यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। यह द्रष्टव्य है कि पिछले वर्ष सेवाकर, निगम संबंधी शुरू किए गए अतिरिक्त उपाय और प्रभार शुल्क 2014-15 में भी जारी रहेंगे। 2013-14 के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान में कर-भिन्न राजस्व के लिए 4.9 प्रतिशत की वृद्धि प्रदान की गई। तथापि 2013-14 के संशोधित अनुमान की तुलना में 6.5 प्रतिशत की मामूली गिरावट हुई। इसे संशोधित अनुमान जिसमें कतिपय मामलों में विनिवेश के संदर्भ में विशेष लाभांश तथा बैंक आदि द्वारा किए गए उच्चतर लाभांश के लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में देखा

जाएगा। चूंकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा बैंकों के लाभांश से होने वाली प्राप्तियों को उसी स्तर पर स्वीकार कर लिया गया है। पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में कर भिन्न राजस्व को मामूली वृद्धि के साथ स्वीकार दिया गया है। इसके अलावा वर्ष 2013-14 में कर भिन्न राजस्व के बजट अनुमान में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। इस लक्ष्य को हासिल करने के बाद यह उम्मीद की जाती है कि वर्ष 2014-15 में उच्च आधार पर मामूली वृद्धि होगी।

17. व्यय मोर्चे पर, व्यय में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपायों के अतिरिक्त वित्त वर्ष 2013-14 में सरकार द्वारा सब्सिडियों के बारे में कतिपय प्रमुख नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। सरकार समुत्थान के चलते डीजल के मूल्यों में धीमी बढ़ोत्तरी की नीति पर कायम है। सच तो यह है कि वित्त वर्ष 2013-14 की दूसरी तिमाही के आरंभ में डीजल की प्रशासनिक कीमतों और बाजार कीमतों के बीच अंतर पर्याप्त रूप से कम हुआ है। तथापि दूसरी तिमाही में रुपये के तेजी से हुए मुल्यहास ने प्रशासनिक कीमतों और बाजार कीमतों के बीच के अंतर को बढ़ा दिया है। स्फीतिकारी दबावों और अन्य वृहत आर्थिक कारकों ने तीव्र मूल्यन को प्रभावित करना कठिन कर दिया है। हालांकि सरकार मूल्य को असंशोधित करने की नीति पर कायम है। विदेशी मुद्रा के स्थरीकरण और स्थायी अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के मूल्य ने डीजल के मूल्यों को युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया में सहयोग दिया है। यह आशा की जाती है कि 2014-15 की आरंभिक अवधि में डीजल की प्रशासनिक कीमतों और बाजार कीमतों के बीच अंतर कम हो जाएगा। तत्पश्चात पीडीएस केरोसिन तथा एलपीजी को छोड़कर पेट्रोल और डीजल दोनों विनियमित हो जाएंगे और बाजार कीमतों से जुड़ जाएंगे। सरकार ने एक वर्ष में 9 एलपीजी कनेक्शन की सीमा भी तय की है। तथापि, जनता की मांग को स्वीकार करते हुए यह सीमा वित्त वर्ष 2013-14 में संशोधित करके 12 सिलेण्डर कर दी गई है।

18. सरकार ने आगामी वित्त वर्ष के लिए चौथी तिमाही के भुगतानों को लाने की सामान्य परिपाटी के बावजूद आखिरी तिमाही के लिए ओएमसी के अंतर्गत शुल्कों के लिए अतिरिक्त धनराशि मुहैया कराकर बार-बार बोझ को कम किया है। इसी तरह खाद्य सुरक्षा बिल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त राशि प्रदान की गई है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि केन्द्र सरकार द्वारा पारित खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने के लिए कई राज्य सरकारों को वित्त वर्ष 2013-14 के मध्य में आवश्यक विधान पारित करना होगा तथा प्रशासनिक उपाय करने होंगे, अतः वित्त वर्ष 2014-15 की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त आबंटन, अधिक होने की संभावना है। उपर्युक्त चर्चा के अनुसार आर्थिक सहायता के लिए अतिरिक्त आबंटन के बावजूद, वित्त वर्ष 2014-15 की राजकोषीय नीति का मूल्यांकन किया गया है ताकि राजकोषीय समेकन का रास्ता प्राप्त किया जा सके।

कर नीति

19. राजकोषीय समेकन अवधि के दौरान कर जीडीपी अनुपात 2003-04 में 9.2 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 11.9 प्रतिशत हो गया है। यह कर संरचना को प्रतियुक्त बनाने (उदार स्तर और कुछ दरें), कराधार को बढ़ाने तथा कर प्रशासन में सुधार करने के अनुपालन लागत में कटौती करके प्राप्त हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी समाधानों के व्यापक रूप से अंगीकार किए जाने तथा कारोबारी प्रक्रिया को पुनः विकसित करने से कम व्यवधानात्मक कर प्रणाली को तथा स्वैच्छिक अनुपालना को बढ़ावा मिला है। इन उपायों से 2007-08 तक कर राजस्व में बढ़ी हुई बायेंसी देखने में आई तथा केवल राजस्व उपायों से ही राजकोषीय समेकन प्राप्त करने में सहायता मिली वैश्विक आर्थिक संकट के प्रतिकूल प्रभावों तथा घरेलू विकास की धीमी गति से भारतीय अर्थव्यवस्था के सूचनालकता बनाने के उपाय के रूप में 2008-09 और 2009-10 के वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान कर साइड में किए गए उत्प्रेरक उपायों के कारण जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल कर राजस्व, 2009-10 में कम होकर 9.7 प्रतिशत रह गया।

20. अंतर्राष्ट्रीय उच्च कीमतों तथा उपभोक्ताओं को इन्सुलेट करने तथा वसूली के स्तर के नीचे लाने के लिए सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों पर वर्ष 2011-12 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल कर आवतियां, वर्ष 2010-11 के 10.2 प्रतिशत से कम होकर 9.9 प्रतिशत हो गया। अप्रत्यक्ष करों और अतिरिक्त राजस्व उपायों में उत्प्रेरक उपायों को आंशिक रूप से वापस लिए जाने के कारण यह अनुमान लगाया गया था कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कर आवती वर्ष 2013-14 में बढ़कर 10.9 प्रतिशत हो जाएगी। तथापि, वैश्विक अनिश्चितताओं और विनिमय दर भंगुरता तथा 2013-14 में आशा से कम वृद्धि दर के कारण कर जीडीपी अनुपात बढ़कर 10.2 प्रतिशत हो गया है। कर बायोन्सी लगभग 1 के बराबर हो गई है, जिसका अभिप्राय यह है कि कर संग्रहण, जीडीपी के विकास के साथ-साथ नहीं चल सका। यह प्रत्यक्ष कर संग्रहण के मुकाबले अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में अधिक हुआ है। सरकारी खर्च और संसाधनों के बीच अंतर को कम करने के मद्देजनर राजकोषीय समेकन के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए कर जीडीपी अनुपात का लक्ष्य, 19.0 प्रतिशत विकास दर के साथ बजट अनुमान 2014-15 में 10.7 प्रतिशत रखा गया है। सेवाकर के लिए अनुपालन प्रोत्साहन योजना से ₹ 77,00 करोड़ की अतिरिक्त राशि मिली है जबकि आधी राशि 2013-14 में प्राप्त हुई है शेष राशि वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्राप्त की जाएगी।

अप्रत्यक्ष कर

21. अंतरिम बजट में शुल्क ढांचे या दर में कोई बड़ा परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है। पिछले वित्तीय वर्ष में लागू सभी उपायों को जारी रखने का प्रस्ताव है। तथापि, मुद्रास्फीति की नरमी में सुधार, निर्यातों में सुधार और बेहतर औद्योगिक व विनिर्माण के अनुसार

इस कैलेंडर वर्ष की प्रथम तिमाही में देखे गए आर्थिक क्रियाकलाप में कायापलट तथा वृद्धि दर के प्रतिलाभ की आशा से लक्ष्यों की प्राप्ति के अवसर मिले हैं। जबकि, 2013 में अंतिम तीन तिमाहियों के निष्पादन में कम संग्रहण देखने में आया है, खोए गए कुछ आधार की क्षतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2013-14 की चौथी तिमाही में हो गई थी। आगे यह आशा की जाती है कि 2014-15 में वृद्धि के पुनरुद्धार के साथ जीडीपी का 4.8 प्रतिशत का बजटीय लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा।

22. मध्यावधि में, बेहतर अनुपालन के माध्यम से कर आधार को व्यापक बनाने और राजस्व दक्षता में सुधार लाने के विचार से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम माल और सेवा कर (जीएसटी) को प्रारंभ करना है। जहां तक केन्द्रीय करों नामतः केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर का संबंध है, अच्छा खासा समेकन पहले ही प्राप्त हो चुका है, विशेषकर दोनों करों के बीच क्रेडिट के पार-प्रवाह के माध्यम से। माल और सेवाओं के कराधान का पूर्ण एकीकरण होना तभी संभव है जब राज्य वैट को भी शामिल किया जाए और पूर्ण परिपूर्ण जीएसटी को आरंभ किया जाए।

23. प्रशासनिक ढांचे को सुप्रवाही बनाने के लिए अनेक प्रशासनिक उपाय किए गए हैं। सरकार ने फील्ड स्टाफ के व्यापक विस्तार को अनुमोदित कर दिया है। इसके अतिरिक्त, आय कर विभाग की ओर से अनेक पहले की गई हैं। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि वैश्वीकरण एक चुनौती और अवसर दोनों हैं, अप्रत्यक्ष कर प्रशासन द्वारा व्यापार सुलभ उपायों को लाने के लिए दीर्घकालीन प्रयास किए गए हैं। इस वर्ष की नई पहल निर्यातों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) को लाना है। इसके अतिरिक्त, उन सभी विनिर्माताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए शुल्क/कर का ई-भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में 1 लाख से अधिक के शुल्क/कर का भुगतान किया गया है। इन उपायों का उद्देश्य भारतीय व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाते हुए मानव हस्तक्षेप को कम करना और लेने-देने लागत में कटौती करना है। फिलहाल, देश में बड़े सीमा शुल्क क्लेयरेंस बंदरगाहों और वायु कार्गो परिसरों में क्लेयरेंस को भी 24x7 आधार पर उपलब्ध करा दिया गया है।

24. अप्रत्यक्ष करों पर कर प्रयासों के पुनः अंशाकन के लिए बजट 2013-14 में कई महत्वपूर्ण सुझावों को वित्त वर्ष 2014-15 में बनाए रखा जाएगा ताकि लघु अवधि में राजकोषीय समेकन को प्राप्त किया जा सके।

प्रत्यक्ष कर

25. कर संग्रहण दो तत्वों-कर मूल्य तथा कर आधार का उत्पाद है। सरकार की नीति प्रत्यक्ष करों पर इन कर मूल्यों को कम करते हुए इस आधार को व्यापक करने की रही है। अंतरिम बजट

के भाग के रूप में निजी आयकर को पर तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 में अर्जित मूल्य के संबंध में विदेशी तथा घरेलू कम्पनियों के लिए कर की कम में किसी प्रकार के परिवर्तन का सुझाव नहीं है। इसी प्रकार, व्यक्तिगत आयकर तथा निगम कर पर अधिभार भी जारी रहेगा।

26. करों में विस्तार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा इसमें विधायी तथा प्रशासनिक दोनों ही उपाय सम्मिलित होते हैं। हाल में किसी भी प्रकार के विधायी उपायों को प्रस्तावित नहीं किया गया है। तथापि, अनुपालन तथा आगम राजस्व संग्रहण में सुधार के लिए बहुत से प्रशासनिक उपाय किए जा रहे जिनमें निम्नलिखित हैं:

- सूचना के संग्रहण के लिए तकनीक का व्यापक प्रयोग किया जा रहा है।
- कर प्रदाताओं के 360 डिग्री रूपरेखा तथा संभावित कर प्रदाता को खर्च की आदतों तथा आय के स्रोतों को मिलाने तथा सूचना के परस्पर सम्बंध के लिए सम्पन्न किया जा रहा है।
- डाटाबेस के रख-रखाव तथा सूचना के नियंत्रण के लिए सूचना तकनीक यंत्रों को विकसित किया जा रहा है।
- आय के रिटर्न तथा अन्य स्रोतों से एकत्रित सूचना की उपयोगिता तथा कर अपवंचकों के विरुद्ध विशिष्ट लक्षित कार्रवाई की जा रही है।
- बेंगलूरु में सीपीसी में पूरी तरह क्रियात्मक हो गया है यहां से रिटर्न्स की पूरी प्रक्रिया को सुसनिश्चित कर लिया गया है।
- टैक्स कटौती के द्वारा अनुपालना में सीपीसी-टीडीएस वैशाली में प्रमुख सुधार किए गए हैं।

27. उपरोक्त उपाय वित्तीय वर्ष 2014-15 में भी प्रभावी रहेंगे। इसके अतिरिक्त, विभाग चालू वित्त वर्ष 2013-14 में पुनः संरचना की कार्रवाई का प्रयोग कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप, संसाधन प्रबंधन तथा सूचना तकनीक के प्रभावी प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा। इससे प्रत्यक्ष करों से राजस्व संग्रहण की वृद्धि में महत्वपूर्ण रूप से योगदान की आशा है।

28. 2013-14 में प्रत्यक्ष करों में 19 प्रतिशत की लक्षित वृद्धि दर की तुलना में कमी देखने को मिलती है। यह व्यक्तिगत आयकर संग्रहण की अपेक्षा निगम कर संग्रहण के मामले में ज्यादा उद्घोषित है। ऐसा मुख्य रूप से इसलिए हो रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक दर की तुलना में मुद्रास्फीति के अधिक होने और उधार लिए गए धन की उच्च दर के कारण व्यापार और वाणिज्य की निवल लाभ प्रदत्ता कम होती जा रही है। इन कारकों का मुद्रास्फीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जब कि इनका व्यक्तिगत आयकर के संग्रहण काफी योगदान होता है। परिणामस्वरूप, अनुमान

के ₹ 31791 करोड़ कम कर दिया गया है जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 0.3 प्रतिशत है।

आकस्मिक और अन्य देयताएं

29. भारत के संविधान के अनुच्छेद 292 के अनुसार, केन्द्र सरकार भारत की संचित निधि के आधार पर उधारी को वापस करने की प्रत्याभूति देती है। एफआरबीएम एकल केन्द्र सरकार को इस बात के लिए बाध्य करता है कि वह प्रत्याभूति के रूप में आकस्मिक देयताओं का पूर्वानुमान करते हुए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करे। तदनुसार, एफआरबीएम रूल्स वर्धनात्मक प्रत्याभूति के लिए सकल घरेलू उत्पाद का अधिकतम 0.5 प्रतिशत तक सीमित करता है जिसे सरकार किसी वित्तीय वर्ष में मानकर चल सकती है। केन्द्र सरकार मुख्य रूप से उन परियोजनाओं और क्रियाकलापों की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रत्याभूति देती है जो कि सरकारी निकायों द्वारा पूरा किए जाते हैं और इसका उद्देश्य उधारी पर आने वाले खर्च को कम किया जा सके तथा उन मामलों की आपवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। जिसमें द्विपक्षीय/ बहुपक्षीय सहायता के लिए यह पूर्व शर्त होती है कि सम्प्रभु द्वारा प्रत्याभूति दी जाए। चूंकि वैधानिक निगम, सरकारी कंपनियों, सहकारी संस्थान, वित्तीय संस्थानों, स्वायत्तशासी संगठनों और प्रधिकरणों को विशिष्ट विधिक निकाय माना जाता है, अतः वे अपने ऋणों के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं। अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की दिशा में प्रत्याभूति देने की प्रक्रिया में सरकार को अपने इन दायित्वों को आकलन करना चाहिए और उसे पर्याप्त रूप से जाहिर भी चाहिए। सरकार इसको इसलिए जाहिर कर रही है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्णय के अनुसार ऐसा करना वैधानिक रूप से आवश्यक है।

30. आकस्मिक देयताओं बेहतर प्रबंधन के लिए सरकार की प्रत्याभूति नीति में ऐसे कई सिद्धांतों को शामिल किया गया है जिनका कि सम्प्रभु की प्रत्याभूति के रूप में नई देयता को पूरा करने अनुपालन किया जाना जरूरी है। चूंकि सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रत्याभूति के मामले में यह जोखिम रहता है कि कहीं सरकार को ही भुगतान न करना पड़ जाए। ऐसे प्रस्तावों की इस तरह से जांच परख की जाती है जैसे कि ऋण सीधे सरकार द्वारा ही लिया जा रहा हो। इन आकस्मिक देयताओं को स्वीकार करते समय सम्प्रभु के जोखिम को कम से कम करने के लिए इस नीति में घोषित सिद्धांतों के द्वारा एक संरचनात्मक व्यवस्था की गई है। इन सिद्धांतों में शामिल हैं जोखिम का आकलन जिसमें भावी भुगतान की संभावना भी शामिल है, क्रियाकलाप की प्राथमिकता, चुनिंदा क्षेत्रों के मामले में जोखिम को सीमित करने के लिए प्रत्याभूति की संस्थागत सीमा, चुनिंदा क्षेत्रों के मामले में जोखिम को कम करने के लिए प्रत्याभूति की आवश्यकता की समीक्षा करना और प्रत्याभूति के साथ-साथ अन्य बजटीय समर्थन या सहयोग की आवश्यकता की समीक्षा करना। संभावित जोखिम की प्रक्रिया की और

अधिक सरल बनाने के लिए अन्य अतिरिक्त उपाय जो किए गए हैं उनमें शामिल हैं-जान-बूझकर चूक करने वालों को हतोत्साहित करने के लिए जोखिम आधारित प्रीमियम वसूलना, सरकार द्वारा जोखिम में अन्य भागीदारी, और प्रत्याभूति ऋण लागत को सरकार की प्रतिभूति दर के नजदीक लानेपर जोर देना।

31. सरकार द्वारा दी गई गारंटियों के रूप में आकस्मिक देयताओं के स्टॉक का मूल्य वर्ष 2004-05 में एफआरबीएम शासन के आरंभ से ₹ 1,07,957 करोड़ से बढ़कर 2012-13 के अंत में ₹ 233769 करोड़ हो गया। किसी वित्त वर्ष के दौरान सरकार द्वारा परिकल्पित गारन्टी का एफआरबीएम दायरे के कारण सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में आकस्मिक दायित्वों में कमी आई है। वर्ष 2004-05 में जो 3.3 प्रतिशत थी वह अब 2012-13 में कम होकर 2.3 प्रतिशत हो गई है। एफआरबीएम नियमावली, 2004 में निर्धारित किए अनुसार पिछली बकाया गारन्टी के खुलासे का विवरण पारित बजट के अनुबंध 5 (iii) पर दिया गया है। वर्ष 2012-13 के दौरान, गारन्टी के स्टॉक में हुई कुल बढ़ोत्तरी ₹ 36938 करोड़ थी जो सकल घरेलू उत्पाद की 0.37 प्रतिशत के बराबर है जो एफआरबीएम नियमावली के अंतर्गत निर्धारित 0.5 प्रतिशत की सीमा के भीतर है।

32. सरकार कई बुनियादी ढांचा विकास गतिविधियों के संबंध में वार्षिक परियोजनाओं को आरंभ करने के द्वारा इन गतिविधियों के वित्तपोषण का दायित्व भी ले रही है। इन परियोजनाओं के लिए इस प्रकार की गई प्रतिबद्धता भविष्य में आने वाली सरकारों द्वारा वित्त पोषित की जाएगी और इसलिए इन्टरनेशनल इक्विटी हेतु इन दायित्वों को लेने में सावधानी बरतने के अपेक्षा है। रेखांकित एफआरबीएम नियमावली के भाग के अन्य में सरकार वार्षिक परियोजनाओं के अंतर्गत वार्षिक रूप से देय राशि तथा परियोजना लागत सहित ऐसी परियोजनाओं के प्रति उसके दायित्वों की प्रतिबद्धता का खुलासा करती है। मंत्रालय/विभागों के अंतर्गत चालू वार्षिक परियोजनाओं के लिए की गई प्रतिबद्धता का पारित बजट के अनुबंध-8 में दिए गए प्रपत्र के अनुसार खुलासा किया जाता है। सरकार द्वारा वार्षिक परियोजनाओं के लिए किए गए करार का कुल प्रतिबद्धता मूल्य ₹ 101146.69 करोड़ है। जिसमें ₹ 6525.65 करोड़ की वार्षिक भुगतान राशि है।

सरकारी उधार, ऋण तथा निवेश

33. सरकारी कर्ज की मौजूदा स्थिति के संबंध में वार्षिक रूप से एक दस्तावेज प्रकाशित किया जाता है ताकि सार्वजनिक कर्ज से संबंधित सूचना के प्रसार में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। इस दस्तावेज का तृतीय संस्करण जुलाई-2013 में प्रकाशित किया गया था। अच्छी आर्थिक नीति का मुख्य पहलू कर्ज का समझदारीपूर्वक प्रबंधन है तथा संसार के अन्य हिस्सों से प्राप्त अनुभव दर्शाता है कि अंतरराष्ट्रीय ऊहा-पोहा में कर्ज की स्थिति की उभरते वैश्विक परिदृश्य में करीब से मॉनीटरिंग की जाने अपेक्षित हैं। भारत में ऋण

नीति का मुख्य सिद्धान्त सार्वजनिक ऋण में धीरे-धीरे कमी लाना है ताकि ऋण जोखिम को कम किया जा सके और विकास के लिए वित्तीय स्थिति मजबूत की जा सके। भारत की ऋण स्थिति का अहम पहलू घरेलू बाजार से प्राप्त उधारी पर निर्भर करता है जो कि बाजार द्वारा निर्धारित दर के आधार पर होता है न कि प्रशासित दर के आधार पर। इस संबंध में सरकारी प्रतिभूतियों के लिए एक गटरी तथा व्यापक सैकेण्डरी मार्किट बनाना एक मुख्य सुधारात्मक उपाय है।

34. देश के ऋण की रूपरेखा की एक मुख्य विशेषता कुल उधारों के प्रतिशत के रूप में विदेशी ऋण का गिरता अनुपात है। विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विदेशी उधार चुनिंदा विकास भागीदारों से लिए गए द्विपक्षीय/बहुपक्षीय ऋणों तक सीमित है। उनके जोखिम संबंधी मानदण्डों और आय संबंधी मानदण्डों को देखते हुए इसमें गिरावट हो रही है, पर आज की तारीख में एक मात्र द्विपक्षीय भागीदार जापान है। विदेशी वित्तपोषण 2013-14 के बजट अनुमान के ₹ 10,560 करोड़ से काफी हद तक गिरकर 2013-14 के संशोधित अनुमान में ₹ 5440 करोड़ रह गया है क्योंकि बहुत-सी योजनाएं आरंभिक चरण में हैं और उनका भुगतान नहीं किया जा सका, जबकि वापसी अदायगियां कार्यक्रम के अनुसार थीं, जिसके परिणामस्वरूप निवल वित्तपोषण में गिरावट हुई। इसलिए विदेशी ऋण के लिए 2014-15 के बजट अनुमान ₹ 5734 करोड़ के स्तर पर रखे गए हैं। आगामी वर्षों में बहुपक्षीय संस्थाओं से होने वाले निवल अंतःप्रवाहों में क्रमिक गिरावट के चलते सरकार के पास विदेशी ऋण के अन्य स्रोतों के खोज करने का विकल्प होगा, उदाहरण के लिए सावरेन बॉण्ड का निर्गमन, ताकि इसके पोर्टफोलियो में घरेलू और विदेशी ऋण का एक उचित मिला-जुला रूप बनाए रखा जा सके। तथापि, कुल ऋण में विदेशी ऋण का अपेक्षाकृत कम हिस्सा ऋण पोर्टफोलियो को वैदेशिक क्षेत्र के आघातों से और मुद्रा संबंधी जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है। अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में कम ब्याज दरें यह इंगित करती हैं कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार से उधार लेना लाभप्रद हो सकता है। तथापि, विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्धित सावरेन बॉण्डों को जारी करने का निर्णय केवल सापेक्ष लागत पर आधारित नहीं हो सकता। अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजारों में पहुंच बनाने की आवश्यकता का औचित्य अर्थव्यवस्था की समग्र बचत और निवेश संबंधी जरूरतों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इसलिए सावरेन बॉण्ड जारी करने का निर्णय के लिए, भुगतान शेष के परिणामों को ध्यान में रखते हुए, निर्गमन की एक नियमित और निश्चित अनुसूची बनाने की जरूरत होगी जिससे ब्याज और मोचन भुगतान सृजित किए जा सकें।

35. सरकारी प्रतिभूतियों के लिए नकदीपूर्ण और गतिशील द्वितीयक बाजार विकसित करना और निवेशक आधार को व्यापक बनाना यह सुनिश्चित करने के लिए मुख्य कारक हैं कि ऋण किफायती तरीके से जुटाया जाए। बाजार के विकास के लिए की

गई पहले भारतीय रिजर्व बैंक के साथ निकट समन्वय करके की जाती हैं। सरकार की प्राथमिक निर्गमन कार्य नीति बेंचमार्क परिपक्वताओं के अंतर्गत नई प्रतिभूतियां जारी करने पर और मौजूदा प्रतिभूतियों के तहत मात्रा बढ़ाने पर केंद्रित है ताकि द्वितीयक बाजार में नकदी की स्थिति में सुधार हो। 2013-14 के दौरान 6 नई प्रतिभूतियां जारी की गईं जिसमें मुद्रास्फीति सूचकांकित बॉण्ड शामिल हैं, जो वर्ष के दौरान कुल निर्गमन का 3.9 प्रतिशत थे। इसका अर्थ है कि 96 प्रतिशत से अधिक निर्गमन पुनर्निर्गम के रूप में थे। निवेशक आधार को व्यापक बनाना सरकारी प्रतिभूतियों की मांग की स्थिरता में एक और महत्वपूर्ण कारक है। सरकार ने बाजार विकास और मूल्य अन्वेषण के लिए वित्तवर्ष 2013-14 के आरंभ में संस्थागत श्रेणी के लिए थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति सूचकांकित बॉण्ड शुरू किए। सीपीआई मुद्रास्फीति संबद्ध मुद्रास्फीति सूचकांकित राष्ट्रीय बचत प्रतिभूति-संचयी (आईआईएनएसएस-सी) की एक अलग श्रृंखला दिसंबर, 2013 के अंतिम सप्ताह में खुदरा निवेशकों के लिए विशेष रूप से शुरू की गई।

36. बाजार उधारों को अधिक महत्व देने के अलावा सरकार प्रशासित ब्याज दरों को बाजार दरों के अनुरूप बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। लघु बचतों पर दी जाने वाली ब्याज दरें अब दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए द्वितीयक बाजार में उपलब्ध आय से संबद्ध की जा रही हैं। प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए ब्याज दरें 1 अप्रैल से पूर्व अधिसूचित की जाती हैं। विभिन्न लघु बचतों के अन्तर्गत संग्रह, वित्त वर्ष के दौरान नेशनल स्माल सेविंग्स फंड (एनएसएसएफ) के लिए निधियों के स्रोत से निवल निकासी राशि है। निवल संग्रह को केन्द्र तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में जुलाई 2010 में गठित लघु बचतों संबंधी समिति की सिफारिश के अनुसार निवेशित किया जाता है। इन प्रतिभूतियों की परिपक्वता राशि को केन्द्र तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में प्रचलित व्यय दरों पर 50:50 में पुनः निवेशित किया जाता है। संबंधित एफआरबीएम अधिनियम में राजकोषीय लक्ष्यों की अनुपालना के आधार पर राज्य को अधिक व्याज सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अंशदाताओं को व्याज भुगतान और प्रबंधन लागत निधि के अंतर्गत व्यय और केन्द्र तथा राज्य सरकार प्रतिभूतियों पर ब्याज निधि के अन्तर्गत आय होती है।

37. 2013-14 में ₹ 4,84,000 करोड़ के निवल बाजार उधार 2013-14 के दौरान सकल राजकोषीय घाटे का 89.2 प्रतिशत अनुमानित था। वित्त पोषण के अन्य साधन यथा विदेशी सहायता, राज्य भविष्य निधियां तथा समाल सेविंग्स (एनएसएसएफ) जीएफडी के शेष 14 प्रतिशत की वित्त व्यवस्था अनुमानित थी। 2013-14 के दौरान लघु बचत खाते में निवल अन्तर्वाह था। तथापि समिति की सिफारिश और 13वें वित्त आयोग (एफसी-XIII) के मानदण्डों के अनुसार निवल संग्रह को केन्द्र तथा राज्य प्रतिभूतियों में निवेशित

किया जाता है। राशि राज्य प्रतिभूतियों में निवेशित की जानी अपेक्षित थी तथा केन्द्र सरकार के लिए निवल वित्त व्यवस्था को सं.अ. स्तर पर कम कर दिया गया था। विदेशी ऋण तथा लघु बचतों से अनुमान की तुलना में कम वसूली के परिणाम स्वरूप, तथा 4.6 प्रतिशत के संशोधित राजकोषीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए ट्रेजरी विल नीलामी (एटीबी) से निवल उधार 20,000 करोड़ तक बढ़ गया अर्थात् 2012-13 में ब.अ. ₹ 9,000 करोड़ से ₹ 29000 करोड़ हो गया।

38. सरकार के ऋण पोर्टफोलियों में रॉलओवर जोखिम लगभग 10 वर्षों की बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों की भारित औसत परिपक्वता के साथ निरंतर कम बना हुआ है। इसके अतिरिक्त, जनवरी 2014 के अंत में बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों में अल्पावधिक ऋण का हिस्सा मात्र 4.4% था और अगले 5 वर्षों में ऋण परिपक्वता कुल ऋण की 30% से कम थी, जिससे कम स्तर रॉलओवर जोखिम का संकेत मिलता है। कम रॉलओवर जोखिम के बावजूद सरकार अपने ऋण पोर्टफोलियों के परिपक्वता प्रोफाइल को लंबा करने के लिए अपने प्रयासों को जारी रख रही है। 2013-14 के दौरान, निर्गमनों के प्राथमिक निर्गमन की भारित औसत परिपक्वता पिछले वर्ष की 13.5 वर्ष से बढ़कर 14.5 वर्ष हो गई थी। उल्लेखनीय है कि भारित औसत परिपक्वता में बढ़ोतरी उधारी लागतों में बिना पर्याप्त बढ़ोतरी के हासिल हुई थी। वर्ष 2013-14 के दौरान, प्राथमिक निर्गमन के भारित औसत उपार्जन पिछले वर्ष के 8.36% से थोड़े बढ़कर 8.47% हो गए जिसे वैश्विक कारकों और इस वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति सशक्त करने की परिणति के रूप में देखा जा सकता है। उधारी लागत में पर्याप्त वृद्धि के बिना प्राथमिक निर्गमनों की बढ़ी हुई परिपक्वता से बीमा कम्पनियों और भविष्य निधियों द्वारा दीर्घावधिक प्रतिभूतियों के लिए और अधिक मांग को प्रतिबिंबित होती है इससे मद्दावधि में अपनी परिपक्वता प्रोफाइल को लंबा करने के सरकार के प्रयासों को समर्थन मिलेगा।

39. राजकोषीय सुदृढीकरण संबंधी उपायों को जारी रखने की सरकार की प्रतिबद्धताओं के अनुसरण में, वर्ष 2014-15 के लिए राजकोषीय घाटा कम होकर जीडीपी का 4.1% रहने का अनुमान है। 2014-15 के लिए कुल उधार आवश्यकता का अनुमान ₹ 5,28,631 करोड़ यानि 4.1 प्रतिशत लगाया गया है। राजकोषीय घाटे के लगभग 86.5 प्रतिशत के वित्तपोषण के लिए ₹ 4,57,322 करोड़ के निवल बाजार उधारों की बजट व्यवस्था की गई है। सामान्य संदर्भों में, पिछले वर्ष के मुकाबले 2.5 प्रतिशत तक निवल उधारी होगी। तथापि, सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में पिछले वर्ष 4.0 प्रतिशत से तुलना करने पर इनके बजट में घटकर 3.6 प्रतिशत तक रहने की व्यवस्था है। वित्त पोषण के अन्य संसाधनों के अंतर्गत उधारों की बजट व्यवस्था 2014-15 के दौरान 13.5 प्रतिशत की गई है।

40. ऋण वित्तपोषण की दृष्टि से 2013-14 में उधारी की यही रणनीति चालू रहेगी और हम घरेलू संसाधनों पर निर्भर रहेंगे तथा बाहरी संसाधनों से केवल 1 प्रतिशत राजकोषीय घाटे की पूर्ति की जाएगी। घरेलू संसाधनों से ₹ 5,42,499 करोड़ के जीएफडी के लगभग 99% का वित्तपोषण किया जायेगा। उधारी की रणनीति में इस बात पर ध्यान दिया जाता रहेगा कि बाजारपरक उपायों से संसाधन जुटाये जाए जिससे कि सरकार की उधारी की अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों की प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से जुटाए जाने वाले प्रस्तावित ₹ 4,57,322 करोड़ के अलावा राजकोषीय हंडियों के माध्यम से वसूल किए जाने के लिए ₹ 34554 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। नकदी प्रबंध के लिए अधिक लचीलापन प्रदान करने के अलावा राजकोषीय हंडियों में बेंचमार्क की भी व्यवस्था है और इसलिए मुद्रा बाजार में व्यापार कार्यकलाप की गति पकड़ने में वित्तीय एवं कारपोरेट सेक्टर को अपनी अल्पावधिक नकदी आवश्यकताओं की पूर्ति में सुविधा होगी। इसके अलावा अल्प बचतों, राज्य भविष्य निधि और लोक खाते से अन्य प्राप्तियों से घाटे के शेष भाग का वित्तपोषण होगा, जो घाटे का लगभग 6.9 प्रतिशत बैठता है।

41. बाजार स्थिरता स्कीम के अंतर्गत वित्त वर्ष 2012-13 की समाप्ति पर कोई शेष अनुमानित नहीं है। तथापि, इस स्कीम में निवल वृद्धि 2013-14 के बजट अनुमान में ₹ 20,000 करोड़ अनुमानित है।

42. नकद प्रबन्धन ढांचा, समग्र ऋण प्रबन्धन रणनीति का आवश्यक घटक है। सरकार, बाजार आधारित नकद ढांचे पर कार्य कर रही है जिससे केन्द्रीय बैंक पर निर्भरता कम हो जाएगी। वर्ष 2010-11 में नकद प्रबन्धन विधेयकों के पर स्थापित किए जाने से नकद वित्तीय घाटे की अपेक्षाएं अब मुख्यता बाजार द्वारा प्रबन्धित होती हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि दिन प्रतिदिन की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक चालू खाते से अधिक केन्द्र सरकार का नकद अधिशेष भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बाजार में निवेशित किया जाएगा। सरकार लगातार अपनी नकद प्रवाह प्रक्षेपणों में सुधार ला रही है जोकि नकद प्रबन्धन की प्राथमिक अपेक्षा है। एक स्वतन्त्र ऋण प्रबन्धन कार्यालय की स्थापन की ओर आंशिक रूप से बढ़ते हुए सरकार ने सुक्ष्म दृष्टिकोण आंगीकार किया है। वित्त मंत्रालय में गठित मध्य कार्यालय को विकसित और सुदृढ़ किया गया है। पारदर्शिता और सूचना के प्रचार-प्रसार में और उन्नति करते हुए, सरकार ने नवम्बर 2013 में केन्द्र सरकार के ऋण पर आंकड़ों की एक हैंड बुक प्रकाशित करने की शुरुआत की जिसे वार्षिक आधार पर अद्यतन किया जाएगा। सरकार पहले से ही सरकारी ऋण पर वार्षिक रूप से स्थिति दस्तावेज प्रकाशित करती है।

43. आगामी वर्षों में विशेषकर 2015-16 से 2017-18 के दौरान उन्मोचन के दबाव के दृष्टिगत रिजर्व बैंक के साथ समन्वयन करके सरकार ने 2013-14 के दौरान अपने ऋण पोर्टफोलियो का प्रबंधन करने हेतु एक सक्रिय ऋण प्रबंधन कार्यनीति लाई है। 2013-14 में वापसी क्रय/अंतरण कार्य किए गए जिसके द्वारा 2014-15 और 2015-16 में परिपक्व होने वाली ₹ 30,000 करोड़ की प्रतिभूतियों को अपेक्षाकृत लम्बी अवधि में परिपक्व होने वाली प्रतिभूतियों में अंतरित कर दिया गया और 2013-14 में परिपक्व होने वाली ₹ 150,000 करोड़ की प्रतिभूतियों की वित्त वर्ष 2013-14 के अंत तक वापसी खरीद निर्धारित की गई। सक्रिय ऋण प्रबंधन कार्यनीति को आगे जारी रखते हुए 2014-15 के दौरान और ₹ 50,000 करोड़ की अपेक्षाकृत कम अवधि की प्रतिभूतियों को वापसी खरीद/अंतरण कार्य का प्रस्ताव रखा जाता है। ऋण की वापसी खरीद कारगर नकदी प्रबंधन और परिपक्वता प्रोफाइल को सरल बनाने के दो प्रयोजनों को पूरा करती है। यह आशा है कि अंतरण कार्य/वापसी खरीद से आगामी वित्त वर्ष के आरंभिक भाग में उन्मोचन के दबाव को कम करेगी। इसके अतिरिक्त, आगामी तीन वर्षों में उन्मोचन दबाव बढ़ने से सक्रिय ऋण प्रबंधन के सामंजस्य में नकदी प्रबंधन करने से इष्टतम लागत वाले उन्मोचन के प्रबंधन में सहायता मिलेगी।

44. सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, वित्त वर्ष 2013-14 से केंद्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से विनिवेश आगमों का इस्तेमाल केवल चुनिंदा पूंजी निवेशों के लिए किया जा रहा है। इसलिए विनिवेश से सभी प्रकार के आगमों को जमा करने के लिए सार्वजनिक खाते में एक निधि के रूप में राष्ट्रीय निवेश कोष का गठन वित्त वर्ष 2013-14 में किया गया है। इस निधि का उपयोग सरकार द्वारा यथाप्राधिकृत आस्तियों के अधिग्रहण के सीमित प्रयोजनों हेतु किया जा सकता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आस्ति के आधार में ह्रास के बिना पूंजीगत आस्तियों में परिवर्तन का स्वरूप क्योंकि सरकार की पूंजीगत आस्तियों में गिरावट से विनिवेश का आगम अन्य अनुमोदित क्षेत्रों में इसके पूंजीगत आस्तियों के भंडार में वृद्धि द्वारा समतुल्य किया जाएगा। बजट अनुमान 2013-14 के अनुसार ₹ 40,000 करोड़ को राष्ट्रीय निवेश कोष में अंतरित किए जाने का प्रस्ताव किया गया ताकि वित्तीयन का बैंक के पुनः पूंजीकरण और रेलवे में निवेश किया जा सके। किन्तु विनिवेश में अल्पतर प्राप्त के कारण संशोधित अनुमान 2013-14 को रेलवे में निवेश के वित्तीयन के लिए ₹ 16027 करोड़ तक अब अवसंशोधित कर दिया है जबकि बैंक का पुनः पूंजीकरण वित्तीयन कार्य जीबीएस के जरिए किया गया। बजट अनुमान 2014-15 में राष्ट्रीय निवेश कोष के लिए विनिवेश का लक्ष्य अब ₹ 36,925 करोड़ के बराबर अनुमानित किया गया है।

सरकारी व्यय प्रबंध में की गई पहलें

केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की पुनर्संरचना

45. योजना स्कीमों की प्रभावकारिता में सुधार करने की मुख्य पहलकदमी में योजना आयोग ने केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की पुनःसंरचना और सरकारी कोष के जरिए प्रत्यक्ष निर्गम को लागू किया। सुप्रवाहीकरण के भाग के रूप में 126 केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों की पुनःसंरचना 66 स्कीमों में की गई है जिनमें 17 फ्लैगशिप कार्यक्रम शामिल हैं। अगले वित्त वर्ष अर्थात् 2014-15 से प्रभावित होनी वाली योजनाओं की पुनःसंरचना से संसाधनों का असरदार उपयोग होने में और वृद्धि हो जाएगी क्योंकि योजना आवंटन और अधिक संकेंद्रित हो जाएंगे। इसके परिणामस्वरूप प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण और अधिक ध्यान के केंद्र में आ जाएगा।

राज्य/विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रत्यक्ष निर्गमन

46. सभी योजना स्कीमों का जिनके अंतर्गत केंद्रीय सहायता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के लिए मुहैया कराई जाती है, वर्गीकरण और बजट निर्धारण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनाओं के लिए 2014-15 के बजट अनुमान से केंद्रीय सहायता के रूप में किया जाना है। ऐसी सभी योजनाओं के लिए निधियों को प्रशासनिक मंत्रालयों के पास रखा जाएगा ताकि उन्हें संबंधित राज्यों/विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की समेकित निधियों के जरिए राज्यों को अंतरित किया जा सके। इस तरीके का अंतरण 2014-15 (बजट अनुमान) में चरणबद्ध ढंग से लागू किया जा सकता है। राज्य कोष के जरिए धन के निर्गमन से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को योजना स्कीमों का और अधिक स्वामित्व तथा स्थानीय कार्यान्वयन अभिकरणों के लिए सामयिक एवं जरूरत आधारित निर्गमन करने के लिए उन्हें और अधिक जवाबदेही मिलेगी एवं योजनाओं का कार्यान्वयन और अधिक सूक्ष्मता से अनुवीक्षण किया जा सकेगा।

नम्य निधियों का प्रावधान

47. एक दूसरी प्रधान पहलकदमी में सरकार ने नम्य निधियों वाली केंद्र प्रायोजित योजनाओं के परिव्यय का कम से कम 10 प्रतिशत उद्दिष्ट करने का निर्णय किया। संबंधित केंद्रीय मंत्रालय प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना के लिए अपने योजना बजट का कम से कम 10 प्रतिशत नम्य निधियों के रूप में रखेगा। इसमें विधान (मनरेगा) से उत्पन्न योजनाएं या ऐसी योजनाएं जहां बजटीय आवंटन की पूरी राशि अथवा उसका पर्याप्त भाग नम्य (आरकेवीवाई) हो, शामिल नहीं हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंदर नम्य कोष के घटक के प्रचालन से निम्नलिखित उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं: (i) प्रत्येक कार्यक्रम अथवा स्कीम के समग्र उद्देश्य के अंतर्गत स्थानीय जरूरतें और अपेक्षाएं पूरी करने करने के लिए राज्यों को नम्यता उपलब्ध कराना; (ii) योजना के समग्र उद्देश्य और इसके

प्रत्याशित परिणामों के अंतर्गत संवर्धित दक्षता और नवाचार का पथ प्रदर्शन करना; और (iii) केंद्र प्रायोजित योजना में शामिल क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा की स्थिति में प्रशमन और पुनर्वास का काम करना। उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वित्तीय अनुशासन लागू करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि किसी खास क्षेत्र में केंद्र प्रायोजित योजना की नम्य निधियों को; (क) दूसरे क्षेत्रों में निधिगत कार्यों/योजनाओं में अंतरित नहीं किया जाएगा, (ख) राज्य के अपने योजनेतर अथवा योजना स्कीमों/व्यय के एवज में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा, और (ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के दैनिक प्रचालन व्यय में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

48. लाभार्थियों तक वास्तविक रूप से पहुंचने, अपव्यय घटाने, द्विश्रुति और निःसरण रोकने और निधियों के संवितरण तथा सरकारी धन के उपयोग में प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए अक्टूबर, 2012 में यह निर्णय लिया गया कि सरकार से अलग-अलग प्रकार के लाभों को लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खाते में प्रत्यक्ष रूप से अंतरित किया जाएगा। तदनुसार, 1 जनवरी, 2013 से 8 मंत्रालयों की 26 चुनिंदा स्कीमों में 43 चिह्नित जिलों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की योजना लागू की गई। वर्ष 2013 के अंत तक डीबीटी के अंतर्गत 121 जिलों में लगभग 97 लाख लाभार्थी इसका लाभ उठा पाएंगे। इस उपाय से सूचना और निधियों के सहज-सरल तथा शीघ्र प्रभाव हेतु सरकारी योजनाओं को नया रूप देने की प्रक्रिया संभव हो पाएगी। सब्सिडी प्रशासन में सुधार लाने के उद्देश्य से एलपीजी सब्सिडी में डीबीटी (डीबीटीएल) की शुरुआत 1.6.2013 से 20 जिलों में की गई और इसके बाद 5 चरणों में (1.1.2014 तक) में शुरुआत की गई। इसने देश में भर में 291 जिलों को कवर किया है। आधार की अधिक पैठ वाले जिलों को चयन में अधिक तरजीह दी जाती है। 291 जिलों में एक बार डीबीटी-एलपीजी योजना पूरी तरह लागू कर दिए जाने पर यह 7 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को कवर करेगी जिससे यह विश्व भर में सबसे बड़ा नकद अंतरण कार्यक्रमों में से एक बन जाएगा।

49. सरकारी धन के संवितरण के क्षेत्र में एक बड़ी पहल केंद्रीय सिविल मंत्रालयों/विभागों के भुगतान और लेखा कार्यालयों (पीएओ) द्वारा सरकारी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट गेटवे (जीईपीजी) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का कार्यान्वयन है। इस ई-भुगतान प्रणाली के अंतर्गत पीएओ द्वारा किए गए भुगतान को लाभार्थी के खाते में सीधे जमा कर दिया जाता है और इस तरह अपनी देय राशि/भुगतान प्राप्त करने के लिए सरकारी कार्यालयों/अधिकारियों पर लाभार्थी की निर्भरता कम हो जाती है। इस प्रणाली में उनकी देय राशि जल्द वसूल करने में मदद मिलती है। शहरी से बाहर के भुगतानों के लिए डिमांड ड्राफ्ट जारी करने की जरूरत को समाप्त करके इस पहल ने व्यवस्था में बेकार पड़े सरकारी धन

की मात्रा में भारी कमी की है जिसका सीधा सकारात्मक प्रभाव सरकारी नकद स्थिति पर पड़ा है। यह सरकार में पहली सुरक्षा अनुपालनकर्ता, डिजिटल सिगनेचर आधारित भुगतान प्रणाली है और यह 22 बैंकों के जरिए 50 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में 363 पीएओ को कवर करती है। अब यह केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के सीबीडीओ के लिए चलाई जा रही है और प्रायोगिक आधार पर 5 सीडीडीओ में कार्यान्वित की जा रही है। कुशल अभिशासन और भ्रष्टाचार में कमी लाने का महत्वपूर्ण साधन होने के अलावा इस उपाय से कागज पर आधारित भुगतान और सूचियों के वास्तविक उपकरणों की आवश्यकता समाप्त करके पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

रेल बजट

50. रेल बजट अलग से प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन आय और व्यय तथा अन्य सभी मुख्य वित्तीय आंकड़े सामान्य बजट में शामिल किए जाते हैं, रेलवे को सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के रूप में सरकारी सहायता दी जाती है और इस निवेश पर प्रतिफल जिसे लाभांश कहा जाता है, की अदायगी प्रत्येक वर्ष की जाती है। इस लाभांश की दर रेलवे अभिसमय समिति द्वारा तय की जाती है और इस समय यह दर 5 प्रतिशत है। पिछले 10 वर्षों में लाभांश के भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है। रेल राजस्व मुख्यतः दो मुख्य यातायात धाराओं नामतः यात्री और मालभाड़ा के जरिए अर्जित किया जाता है। कुछ अर्जन पार्सलों, भूमि के वाणिज्यिक उपयोग, साइडिंग प्रभार, विज्ञापन और रेलवे के पीएसयू द्वारा अदा किए गए भुगतान के जरिए भी किया जाता है। इन अर्जनों का उपयोग प्रचालन व्यय जिन्हें 'सामान्य कार्यचालन व्यय (ओडब्ल्यूई)' और पेंशन प्रभारों को पूरा करने के लिए किया जाता है। शेष अधिशेष का उपयोग लाभांश की अदायगी के लिए किया जाता है और इसके बाद बचा शेष रेल प्रणाली की सुरक्षा और विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आयोजना निवेश के रूप में वापस लगा दिया जाता है।

51. तीसरे दशक में रेलवे के वित्त साधनों में इतना सुधार हुआ की इसने 2007-08 में 75.9 प्रतिशत का प्रचालन अनुपात हासिल कर लिया। यह मुख्यतः रेलवे यातायात में प्रतिबिंबित होती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता तथा रेल व्यय की औसत वृद्धि के कारण थी। लेकिन 2007-08 के बाद छठे केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप ओडब्ल्यूई और पेंशन भुगतान में भारी उछाल आया जबकि पहले अर्जनों में देखी गई वृद्धि की रफ्तार नहीं बनाई रखी जा सकी। परिणामतः प्रचालन अनुपात गिरकर 95 प्रतिशत तक आ गया। रेलवे आयोजना रेल प्रारक्षित निधियों से आहरण करके संपोषित की जानी पड़ी। वस्तुतः 2010-11 और 2011-12 के दौरान रेलवे प्रारक्षित निधियां ऋणात्मक होकर ₹ 2100 करोड़ रुपए और ₹ 385 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गईं। रेलवे निधियों में ऋणात्मक शेष को पाटने के लिए 2011-12 में वित्त मंत्रालय ने ₹ 3000 करोड़ का ऋण दिया।

52. किराए और मालभाड़ा टैरिफ को युक्तिसंगत बनाकर अतिरिक्त संसाधन जुटाने के अलावा अनेक उपाय करने से रेलवे की वित्तीय स्थिति में अनुवर्ती वर्षों में सुधार के संकेत दिखाई देने शुरू हो गए हैं। ₹ 3000 करोड़ का समस्त ऋण ब्याज सहित 2012-13 में सामान्य राजस्व को लौटा भी दिया गया है। ₹ 140450 करोड़ के स्तर पर रेलवे के राजस्व अर्जन द्वारा पिछले वर्ष की तुलना में 2013-14 के संशोधित अनुमान में 13.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने की संभावना है, जबकि ओडब्ल्यूई और पेंशन व्यय ₹ 120760 करोड़ के स्तर पर 15.3 प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। आंतरिक संसाधन सृजन 2012-13 के संशोधित अनुमान के ₹ 15144 करोड़ के मुकाबले 2013-14 के संशोधित अनुमान में ₹ 14,496 करोड़ रहने की संभावना है। 2013-14 में प्रचालन अनुपात 90.8 प्रतिशत के स्तर पर रहने की संभावना है। परम्परागत रूप से रेलवे की यात्री सेवाएं घाटा उठाती रही हैं और इस संबंध में कम वसूली ₹ 25,000 करोड़ से अधिक हो गई है।

53. रेलवे में आयोजना निवेश जीबीएस, आंतरिक संसाधन और बजट-बाह्य संसाधनों (ईबीआर) से वित्तपोषित किया जाता है। रेलवे की बारहवीं पंचवर्षीय योजना ₹ 5.19 लाख करोड़ की अनुमोदित की गई है जिसमें जीबीएस के जरिए ₹ 1.94 लाख करोड़, ₹ 1.05 लाख करोड़ के आंतरिक संसाधन और ₹ 2.20 लाख करोड़ के ईबीआर के निवेश का लक्ष्य है। 2013-14 के संशोधित अनुमान के ₹ 59,359 करोड़ के निवेश के मुकाबले 2014-15 के बजट अनुमान में ₹ 64,305 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है और 2012-13 के वास्तविक आंकड़े ₹ 50,383 करोड़ है। आयोजना संसाधनों को यथोचित रूप से निवेश करने का लक्ष्य है और प्रचालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजनाओं को बारहवीं योजना के दौरान निश्चित वित्तपोषण प्रदान किया जाएगा। इससे रेलवे को न सिर्फ अवसंरचनागत अड़चनें हटाने में मदद मिलेगी बल्कि इस प्रणाली की राजस्व अर्जक क्षमता में भी बढ़ोत्तरी होगी। सामान्य राजस्व से सकल बजटीय सहायता ₹ 26,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 27,000 करोड़ लेते हुए चालू वित्त वर्ष में रेलवे को ₹ 1,000 करोड़ की अतिरिक्त बजटीय सहायता उपलब्ध करायी गई है। रेलवे को उपलब्ध करायी गई ₹ 29,000 करोड़ की सकल बजटीय सहायता में ₹ 6,000 करोड़ राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए शामिल है।

ग. नीतिगत मूल्यांकन

54. वित्त वर्ष 2012-13 में मध्यवर्षीय समीक्षा के अंतर्गत शुरू किया गया राजकोषीय समेकन वित्त वर्ष 2013-14 में पूरी तरह कार्यान्वित किया गया। संसद द्वारा बजट सत्र में पारित राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधित) अधिनियम, 2012 के बाद सरकार ने जुलाई 2013 में नई एफआरबीएम नियमावली अधिसूचित की। तदनुसार 2012 में सरकार द्वारा पहले घोषित की गई राजकोषीय समेकन की रूप रेखा को कानूनी दर्जा दे दिया

गया। वित्त वर्ष 2012-13 में नीतिगत परिवर्तन को सफलतापूर्वक लागू करके और सब्सिडी की आवश्यकता का यथार्थपरक आकलन करने के साथ-साथ वित्त वर्ष 2013-14 में व्यय को युक्तिसंगत बनाने से यह उम्मीद की जा रही थी कि वित्त वर्ष 2013-14 में राजकोषीय समेकन बिना किसी बड़े राजकोषीय दबाव के हासिल कर लिया जाएगा।

55. लेकिन चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय समेकन के मार्ग में दो घटनाक्रमों ने अड़चन पैदा की। पहली अड़चन मई 2013 के तीसरे सप्ताह में यूएस फेड द्वारा सुलभ नकदी की नीति को धीरे-धीरे समाप्त करने की संभावना के कारण वित्त वर्ष के आरंभ में आए बाहरी झटके के कारण थी। जैसाकि ऊपर बताया गया है, यह घोषणा तथा साथ ही बढ़ते व्यापार घाटे के कारण बाजार में अफरा-तफरी मच गई। रुपये के मूल्य में तेजी से गिरावट हुई और यह ह्रास एक महीने में लगभग 31 प्रतिशत रहा। तीन माह की अवधि में केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई मौद्रिक नीति संबंधी अनुक्रिया ने गिरावट के इस रुख को काबू में लाने में मदद की। साथ ही, सरकार ने अधिक निवेश के लिए नीतिगत सुधार करना जारी रखा और स्वर्ण पर अधिक आयात शुल्क लगाकर चालू लेखा घाटा भरने का प्रयास किया। कैलेंडर वर्ष के अंत तक रुपये का मूल्य काफी हद तक स्थिर हो चुका था, भारतीय रिजर्व बैंक ने सुलभ नकदी के लिए पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार बना दिया था, दिसंबर, 2013 के महीने में पोर्टफोलियो निवेश अधिकतम थे और स्वर्ण के आयात में गिरावट के बाद व्यापार अंतर काफी कम हो गया था। सरकार के नीतिगत उपायों की प्रभावकारिता 2014 के शुरुआत तक इन रुझानों के उलटने में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। इन उपायों की कारगरता इस तथ्य से आंकी जा सकती है कि जब तक संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा सुलभ नकदी की नीति से वास्तव में हटना शुरू किया गया, मुद्रा पर पड़ने वाला प्रभाव नाममात्र रह गया था।

56. फिर भी जुलाई से अक्टूबर, 2013 के चार महीनों की मध्यवर्ती अवधि में बृहद आर्थिक स्थिति पर विनिमय दर का प्रतिकूल प्रभाव काफी अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक की दखल कार्रवाई के कारण अल्पावधिक ब्याज दरों में तेजी से वृद्धि हुई जिससे निजी निवेश और लाभप्रदता कम हो गई। स्फीतिकारी दबावों के साथ-साथ इसने अब तक चल रही धीमी आर्थिक वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इससे आगे चलकर सरकारी प्राप्तियों पर दबाव पड़ा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की कर प्राप्तियां लक्ष्य से कम रहीं। इसके साथ-साथ बृहत् आर्थिक परिदृश्य विनिवेशों के लिए अनुकूल नहीं था जबकि लाभांश अदायगी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की अपेक्षाकृत कम लाभप्रदता के कारण दबाव में थी। व्यय पक्ष के मोर्चे पर गत वर्षों की तुलना में योजनागत व्यय उच्च स्तर पर बना रहा। आयोजना अवधि के तीसरे वर्ष में अनेक

योजनाओं को रोक देना पड़ा। इसके अलावा पिछले वित्त वर्ष के उत्तरार्ध में व्यय को युक्तिसंगत बनाने के कारण चालू वर्ष में व्यय आरंभ से ही उच्चस्तर पर बना रहा जबकि दूसरे वर्षों में ऐसा नहीं था, जब सामान्यतया अगले वित्त वर्ष की आवश्यकताओं के अनुमान में अंतिम तिमाही में आहरण किया जाता था।

57. परिणामस्वरूप अप्रैल से दिसंबर, 2013 की अवधि में अधिक व्यय और कम प्राप्तियां हुई जिसके कारण पिछले वर्षों की तुलना में अधिक आनुपातिक राजकोषीय घाटा हुआ। इसलिए वित्त वर्ष 2012-13 के उत्तरार्ध में राजकोषीय समेकन करने पर सरकार को वित्तवर्ष 2013-14 में भी उसी स्थिति का सामना करना पड़ा। एक बार फिर सरकार ने घाटे पर काबू करने के अपने दृढ़ निश्चय को व्यक्त किया। बढ़ते अंतराल पर काबू पाने के लिए व्यय पर नियंत्रण करने के साथ-साथ संसाधन जुटाने के प्रयासों में तेजी लाई गई। समग्र आवंटन की परिधि के भीतर सब्सिडियों की अतिरिक्त आवश्यकता पर काबू पाने की दृष्टि से आयोजना-भिन्न व्यय को युक्तिसंगत बनाते हुए, यह निर्णय लिया गया कि कर और कर-भिन्न पक्ष दोनों मोर्चों पर कुल राजस्व में आने वाली कमी को पूरा करने के लिए आयोजना व्यय में कमी लाई जाए। इस तर्ज पर किए गए सम्मिलित प्रयासों के साथ-साथ नवंबर-दिसंबर, 2013 में बजट-पूर्व कवायद 2014 की शुरुआत में फलीभूत हुई। आशा है कि इस प्रकार से विवेक सम्मत किए गए राजकोषीय प्रयास से वित्त वर्ष 2013-14 में राजकोषीय लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाएंगे।

58. वित्त वर्ष 2013-14 दोहरे घाटे के संबंध में सकारात्मक संकेतों पर समाप्त हुआ। व्यापार अंतर स्वर्ण आयातों में नाटकीय गिरावट के साथ बाजार की उम्मीदों से कहीं परे कम हुआ। साथ ही, राजकोषीय घाटे की स्थिति बजटीय व्यवस्था से बेहतर थी। सब्सिडियों के लिए पर्याप्त प्रावधान, जिसमें अंतिम तिमाही के अनुमानों के लिए ईंधन सब्सिडी को अधिक आवंटन शामिल है जिसे सामान्यतया अगले वित्त वर्ष में अदा किया जाता है, करने के बाद भी सरकार विकास कार्यक्रमों को पर्याप्त निधियां मुहैया कराने में समर्थ रही। तथापि, बाजार सकारात्मक संकेतों को लेकर उत्साही रहा और अनेक विश्लेषणकर्ताओं और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने वित्तीय वर्ष 2014-15 में 6 प्रतिशत के स्तर से अधिक की वृद्धि दर प्राप्त करने में अपना विश्वास प्रकट किया। अंतरिम बजट 2014-15 विकास कार्यक्रमों को पर्याप्त निधियां मुहैया कराते हुए राजकोषीय घाटे को क्रमिक रूप से कम करके 4.2 प्रतिशत पर लाने के समेकन-मार्ग को जारी रखे है। राजकोषीय नीति को अनुमानित राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकारी खर्च पर काबू पाने और सुधार प्रक्रिया को जारी रखने के दोहरे उद्देश्यों को हासिल करने का नपा-तुला रूप दिया गया है ताकि वह नए निवेश चक्र को शुरू कर सके और विकास प्रक्रिया में जान डाल सकें।